राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2395/2007

श्रीमती सुशीला मोदी

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य और अन्य

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री हार्दिक गौतम

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री ललित पारीक

सुश्री भावना जांगिड़

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>07/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति बकाया के विलंबित भुगतान पर ब्याज की मांग कर रहा है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने 31.07.2006 को सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी सेवानिवृत्ति बकाया राशि की मांग की। हालांकि, उसका भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने

24.08.2006 को पंजीकृत नोटिस भेजा। अंत में, याचिकाकर्ता को 02.12.2006 के पीपीओ के माध्यम से चार महीने की देरी के बाद उसकी सेवानिवृत्ति बकाया राशि का भुगतान किया गया।

3. जवाब में बचाव पक्ष यह है कि देय मंजूरी मिलने में देरी के कारण सेवानिवृत्ति बकाया के भुगतान में देरी हुई।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

5. प्रासंगिक प्रावधान राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 का नियम 89 है, जो इस प्रकार है:-

> "89. सेवानिवृत्ति लाभों के विलंबित भुगतान पर ब्याज: (1) यदि सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान देय होने की तिथि से 60 दिन के पश्चात अधिकृत किया गया है, और यह स्थापित हो जाता है कि भुगतान में देरी सरकारी कर्मचारी की ओर से इस अध्याय में या इन नियमों में कहीं और निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने में विफलता के कारण नहीं हुई है, तो सेवानिवृत्ति लाभों के देय होने की तिथि से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज उस महीने के अंत तक देय होगा जिसमें सेवानिवृत्ति लाभ अधिकृत किए गए हैं।
>
> (2) सेवानिवृत्ति लाभों के विलंबित भुगतान के प्रत्येक मामले की जांच कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वप्रेरणा से की जाएगी और विभाग प्रमुख के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को भेजा जाएगा, और जहां प्रशासनिक विभाग संतुष्ट है कि सेवानिवृत्ति

लाभों के भुगतान में देरी प्रशासनिक चूक या निष्क्रियता के कारण हुई थी, संबंधित प्रशासनिक विभाग इसके लिए मंजूरी जारी करेगा। पेंशन विभाग के निदेशक को ब्याज का भुगतान।"

6. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन मामले को शीघ्रता से निपटाने के लिए विभाग के सक्षम प्राधिकारी पर यह दायित्व है। निवारक के रूप में यह परिकल्पना की गई है कि यदि देरी होती है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी ब्याज का हकदार होगा।

7. वर्तमान मामले में, स्वीकृत स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता को उसके पेंशन लाभ के प्रेषण में 4 महीने की देरी के लिए कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

8. उत्तर के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त देरी प्रशासनिक मंजूरी के कारण हुई थी। कहने की जरूरत नहीं है कि उक्त मंजूरी के लिए, यह विभाग था जो समय के भीतर आवश्यक कार्य करने के लिए बाध्य था।

9. इस आधार पर, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को चार महीने की देरी के लिए ब्याज का भुगतान किया जाए, जो सेवानिवृत्ति बकाया राशि के वितरण में हुई थी, ब्याज की स्वीकार्य दर पर।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूलः SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।